म.अ. - 24/16 उनवाल - मोटरयान 4/3 चण्डीगढ़

4 10/18 वादी पक्ष द्वारा पाठासान आयकार

प्रतिवादी

17.12.18

आज्ञा

17 12/18 पत्रावली पेश है। विद्वान वकील
एवं अंतर वादी अनुपस्थित तीन-तीन
बार लगातार लगाई गई बावजूद
सूचना उपस्थित नहीं और न ही
लिखे आदेश से स्थगन मौखिक पेश
किया स्थगन मौखिक पेश नहीं है
पत्रावली निर्णय हेतु रखी परन्तु
पेश नहीं अतः न्यायालय की
राय है वादपत्र एवं स्वीकृत
योग्य है। अतः वादपत्र
O. 9 R-3,5 के अन्तर्गत खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर अलमारी में रखी जाये।
वादिनी अकेली है। [illegible]